न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 80/2020

जीसीएमएस नम्बर :– 2020/00103

अनवान

1. मनीष पिता जीवणराम ब्राहम्ण निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सविता पुत्री जीवणराम ब्राहम्ण निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. जीवणराम पिता उदेराम ब्राहम्ण निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन – अधिवक्ता प्रार्थी
2. मनीष दाद्दीच – अधिवक्ता एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 15/1/2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर में प्रार्थीगण व विपक्षी की पैतृक मौरूषी साबिक कृषि आराजियात साबिक खाता संख्या 232 में अंकित आराजी संख्या 392 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 394 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 393 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 1296 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 431 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1298 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा व विपक्षी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता उदेराम पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसमें प्रार्थी के पिता का 1/4 हिस्सा है।
2. इसी तरह ग्राम बोराणा में स्थित साबिक खाता संख्या 261 में अंकित साबिक आराजी संख्या 1820/10 रकवा 10 बीघा, आराजी संख्या 1691/2 रकबा 8 बीघा कुल किता 2 कुल रकवा 18 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता जीवणराम के नाम दर्ज रेकार्ड है, जो प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 2 की पैतृक सम्पति है। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 व 2050 से 2053 पेश की है।
3. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण धर्म से हिन्दु होकर हिन्दु विधी से शासित होते हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मूल पुरूष उदेराम जी थे जो प्रार्थीगण व प्रतिवादी सख्या दो के दादा एवं विपक्षी संख्या एक प्रतिवादी संख्या तीन से पाच के पिता है। प्रार्थीगण के दादा श्री उदेराम जी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमिया विपक्षी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या तीन

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

से पांच के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीगण विपक्षी सख्या एक के जायदा पुत्र व पुत्री हैं व प्रतिवादी सख्या दो जीवणराम जी की पूर्व पत्नी का पुत्र हैं तथा प्रार्थीगण का जीवणराम जी के हिस्से की कृषि आराजियात में जन्म से हक एवं हिस्सा हैं।

4. प्रार्थनापत्र की कलग संख्या एक में अकित कृषि आराज़ियात प्रार्थीगण की पैतृक मौरूषी कृषि आराजियात है। जीवणराम जी के हिस्से की कृषि भूमियों में प्रार्थीगण का जन्म से हक एवं हिस्सा है तथा प्रार्थीगण का विपक्षी सख्या एक के हिस्से में 1/2 हिस्सा है तथा प्राथीगण अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परंतु प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 1 बिना किसी विधिक आवश्यकता के संपूर्ण वादग्रस्त भूमियां अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए विक्रय करने पर आमादा हैं। जिससे प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या एक के हिस्से की भूमियों मे 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना आवश्यक एव न्यायोचित हो गया है।

5. तहसील रायपुर में भुप्रबंध होने से ग्राम बोराणा में भी भुप्रबंध हुआ जिससे प्रार्थीगण की मौरूषी साबिक कृषि आराजियात निम्न नए नम्बर कायम किए गए ग्राम बोराणा के खाता संख्या 332 में अंकित आ.स. 1320 रकबा 0.08 हैक्ट, आ.सं. 1321 रकबा 0.02 हैक्ट., आ.सं. 1322 रकबा 0.06 हैक्ट., आ.स. 1371 रकबा 0.11 हैक्ट., आ.स. 2932 रकबा 0.54 हैक्ट., कुल किता 5 कुल रकबा 0.81 है0., व खाता संख्या 330 में अकित आ.सं. 1357 रकबा 0.03 हैक्ट., आ.स. 1359 रकबा 0.06 हैक्ट., कुल किता दो कुल रकबा 0.09 हैक्ट., तथा खाता संख्या 322 में अकित आ.स. 3722 रकबा 0.20 हैक्ट., आ.सं. 3723 रकबा 0.01 हैक्ट., आ.सं. 3724 रकबा 1.51 हैक्ट., आ.स. 4003 रकबा 1.06 हैक्ट., आ.स 4006 रकबा 0.55 हैक्ट., आ. स. 4010 रकबा 0.55 हैक्ट., कुल किता 6 कुल रकबा 3.88 हैक्ट., कायम किये गये। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं।

6. प्रार्थीगण का ग्राम बोराणा के नदीन खाता सं. 332 में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 0.81 है भूमियों में वादीगण का अपने पिता के 1/4 हिस्से में 1/2 हिस्सा, इसी तरह खाता संख्या 330 में अंकित कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 हैक्ट. में प्रार्थीगण के पिता के 1/4 हिस्से में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 322 में अकित कुल किता 6 कुल रकवा 3.88 हेक्ट में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व विपक्षी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा हैं। प्रार्थीगण का उक्त भूमियों में जन्म से हक एवं हिस्सा है। रेवेन्यु रेकार्ड में सम्पूर्ण भूमियां विपक्षीगण के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 बिना किसी विधिक आवश्यकता के प्रार्थीगण को उनके हक से महरूम करने की गरज से वादग्रस्त भूमियों को रहन, बय, बक्षीस करने पर आमादा है। जिससे विपक्षीगण के विरुद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना न्यायोचित हो गया है।

7. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थीगण विरुद्व विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि ग्राम बोराणा के खाता संख्या 332 में अंकित आराजी संख्या 1320, 1321, 1322, 1371, 2932 कुल किता 5 कुल रकबा 0.81 है0 व खाता संख्या 330 में अंकित आराजी संख्या 1357, 1359 कुल किता 2 कुल रकबा 0.09

सहायक कलक्टर
रायपुर

है0 में विपक्षी संख्या 1 के 1/4 हिस्से में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण खाते में 1/8 हिस्सा तथा खाता संख्या 322 में अंकित आराजी संख्या 3722, 3723, 3724, 4003, 4006, 4010 कुल किता 6 कुल रकबा 3.88 है0 में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है को विपक्षीगण किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नही करे एवं प्रार्थीगण को अपने हक एवं हिस्से की भूमियों पर काश्त कर काश्त लाभ लेने देवे एवं किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। तथा विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करे एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। यदि दौराने वाद विपक्षीगण प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमियों को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस कर प्रार्थीगण को उनके हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा पुनः कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जाए।

8. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष दाद्दीच ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।

9. विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब में अंकन किया गया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है। साबिक कृषि आराजियात खाता संख्या 232 में अंकित साबिक आराजी संख्या 392 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 394 रकबा 6 बिस्वा, आराजी सख्या 393 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 1296 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 431 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1298 रकबा 16 बिस्वा, कुल किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि है। विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है तथा उक्त भूमि पुश्तैनी नहीं है तथा उक्त भूमि विपक्षीगण द्वारा जरिये विक्रयपत्र खरीदी गई है तथा उक्त भूमि पुश्तैनी नहीं होकर स्वअर्जित सम्पति है, जिससें प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5 के पिता उदेराम पिता जगन्नाथ ब्राह्मण के नाम कभी दर्ज रेकार्ड थी ही नहीं। बिना दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। इसी प्रकार ग्राम बोराणा में स्थित साबिक खाता संख्या 261 में अंकित आराजी संख्या 1820/10 रकबा 10 बीघा, आराजी संख्या 1691/2 रकबा 8 बीघा, कुल किता 2 कुल रकबा 18 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 जीवणलाल की स्वअर्जित सम्पति है, जिसको जीवणलाल ने आराजी संख्या 1820/10 रकबा 10 बीघा जरिये आवंटन न्यायालय तहसीलदार द्वारा आंवटन दिनांक 23.03.1973 से प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 1691/2 रकबा 8 बिघा भूमि जीवणराम की स्वअर्जित सम्पति है तथा भूमि जरिये निलामी में कय की गई थी, जिसका उपयोग उपभोग तन्हा जीवणराम ही करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि प्राप्त करने का अधिकारी ही नहीं है तथा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पिता के जीवित रहते हुए उनकी स्वअर्जित सम्पति में किसी भी प्रकार से हक अधिकार निहित नही होते है तथा उक्त भूमि के स्वअर्जित सम्पति के दस्तावेज होने के उपरान्त भी प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रारम्भ से शुन्य होकर अवैध है। प्रार्थीगण ने

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

जीवणराम की सेवा नही की है तथा न ही उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5 को स्वअर्जित भूमि को विक्रय करने का अधिकार है तथा प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का हिस्सा नही होने से किसी प्रकार का खातेदार काश्तकार घोषित होने किया जाना न्यायोचित नही है। अतिरिक्त कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा मौरूपी जायदाद के आधार पर घोषणा व विभाजन का वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में अपना हक, हिस्सा निहित बताया गया है। वादवर्णित आराजियात विपक्षी जीवणराम की स्वअर्जित सम्पति है तथा विपक्षी को स्वअर्जित सम्पति को विक्रय करने का आधिकार है। स्वअर्जित सम्पति में से ग्राम बोराणा की आराजी संख्या 4003 रकबा 1.06 है0 भूमि मे से 0.47 है0 भूमि सत्यनाराण को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के गिफ्ट डीड दी है, इसी तरह आराजी संख्या 3724, 3722 को जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में विकय की है, जिससे उक्त वादग्रस्त आराजियात का वाद का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

10. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी संख्या 232, 392, 394, 393, 1296, 1431, 1298 प्रार्थीगण के दादा के नाम दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त आराजियात मे अप्रार्थी संख्या जीवणराम का 1/4 हिस्सा निहित है। साबिक आराजी संख्या 1820/10 रकबा 10 बीघा भूमि जीवणराम जब नाबालिक थे तक उनके दादा द्वारा उनके नाम पर वर्ष 1970–71 में आवंटन का आवेदन करवाया गया तथा आंवटन में सभी भाईयो का हिस्सा निहित था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आवंटित हुई भूमि को जीवणराम द्वारा अपने भाईयो के नाम गिफ्ट डीड कराया गया। वादग्रस्त साबिक आराजी संख्या 1820/10 रकवा 10 बीघा भूमि 64 वर्ष पहले आंवटन कराई गई थी तथा आवंटन नाबालिग जीवणराम के नाम हुआ था। जीवणराम के दो पत्नियां है जिसमें से दुसरी पत्नि के वारीसो को घर से बाहर निकाल दिया गया है। नावालिग जीवणराम के नाम उनके दादा द्वारा भूमि आंवटित करवाई गई थी इसलिय उक्त आंवटित आराजियात मौरूषी है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

11. विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात मे से कुछ आराजियात पुश्तैनी है स्वीकार है। वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में जीवणराम के नाम पर है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में कोई साबिक रेकार्ड पेश नही किया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी की स्वअर्जित आराजियात का भी वाद पेश कर दिया गया है जबकि वह आराजियात पुश्तैनी नही है। आराजी संख्या 1820/10 प्रतिवादी जीवणराम के नाम आंवटित आराजियात है एवं आराजी संख्या 1691/2, 431 प्रतिवादी जीवणराम की खरीदशुदा आराजियात है। अतः उक्त आराजियात स्वअर्जित है न कि पुश्तैनी। अन्तरिम स्थगन के आदेश को उक्त स्वअर्जित आराजियात से हटाये जाने का

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)लावपुर

निवेदन किया गया। साबिक आराजी संख्या 1820/10 के नवीन नम्बर 4003, 4006, 4010 एवं 1691/2 के नवीन नम्बर 3722, 3723, 3724 तथा आराजी संख्या 1357, 1359 है।

12. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की वहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि साबिक खाता संख्या 232 में अंकित आराजी संख्या 392 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 394 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 393 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 1296 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 431 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1298 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के दादा उदेराम पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो साबिक जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 से स्पष्ट है। साबिक आराजी संख्या 1820/10 रकबा 10 बीघा भूमि विपक्षी को आंवटित हुई है इससे जुडे दस्तावेज विपक्षी जीवणराम द्वारा पत्रावली में उपलब्ध कराए गए है। इससे प्रथम दृष्टया उक्त आराजियात का पुश्तैनी होना प्रतीत नही होता हे। इसी प्रकार आराजी संख्या 1691/2 रकबा 8 बीघा भूमि जीवणराम द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा द्वारा नीलामी ग्राम सुरास आम चौराहा पर गई जिसमें आराजी सख्या 1691/2 रकबा 8 बीधा भूमि दिनांक 02.05.1983 को जीवणराम द्वारा राशि 7601/–रूपये में क्रय की गई है इससे जुड़े दस्तावेज विपक्षी जीवणराम द्वारा पत्रावली में उपलब्ध कराए गए जिससे प्रथम दृष्टयता उक्त आराजियात का पुश्तैनी होना प्रतीत नही होता है। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 431 के सन्दर्भ में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.08.1982 की प्रतिलिपि विपक्षी जीवण्राम द्वारा पत्रावली में उपलब्ध कराई गई है, इससे प्रथम दृष्टयता उक्त आराजियात पुश्तैनी प्रतीत नही होती है। प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा पुश्तैनी आराजियात में निहित होता है। साबिक आराजियात के नवीन नम्बर निम्न है:–

क.स.	साबिक आराजी संख्या	नवीन आराजी संख्या	वि.वि.
1	1820/10	4003, 4006, 4010	
2	1691/2	3722, 3723, 3724	
3	431	1371	

उक्त आराजियात के सन्दर्भ में प्रथम दृष्टयता मामला विपक्षी के पक्ष में है एवं सुविधा का सन्तुलन भी विपक्षी के पक्ष में है उक्त आराजियात पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाता है तो विपक्षी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है।

निम्न आराजियात प्रार्थीगण के दादा उदेराम पिता जगन्नाथ के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिससे निम्न आराजियात के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टयता मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है क्योकि पुश्तैनी आराजियात में विधिक वारीसान का जन्म से ही हक हिस्सा निहित होता है। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः निम्न आराजियात पर मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

क.स.	साबिक आराजी संख्या	नवीन आराजी संख्या	वि.वि.
1	392, 393,394, 1296, 1298	1320, 1321, 1322, 2932	

सहायक कलक्टर

नवीन आराजी संख्या 1357, 1359 के सन्दर्भ मे अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण द्वारा चाही गई है परन्तु उक्त आराजियात के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट साबिक दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नही किए गए है जिससे कि प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार प्रतीत हो। ऐसी स्थिति में पैतृक व मौरूषी कृषि आराजियात में निहित हक हिस्से तक मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आंशिक स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम बोराणा के नवीन खाता संख्या 332 में अंकित आराजी संख्या 1320, 1321, 1322, 2932 कुल किता 4 भूमि में विपक्षी संख्या 1 के 1/4 हिस्से में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण खाते में 1/8 हिस्से में रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 15/1/2026 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला पीलवाड़ा